

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु.न. 76/10

तारीख रज् 11-8-10

उनवान - उमराव के.गो. व/स रामनिवास के.गो.

दावा बाबत इस्तकरारहक तकास्मा, स्पाइनिषेपाशा

10 वादियों की ओर से श्री सुरेश चन्दशर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत इस्तकरारहक तकास्मा, स्पाइनिषेपाशा का पेश किया अपलोकन किया गया। सामन बिकरु प्रतिवादीगण जोरी कर पत्रावली दिनांक 20.9.10 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (कौली)

20/9/10

बार एस. डी. अश्लानी कार्य स्थान सेवन के कारण पत्रावली दि. 18/10/10 को पेश हो।

18/10

पत्रावली पर 1 कुर् 1 वाली बकरील उपस्थित परिवार नं. 1 से 6 की ओर से श्री रामअमर शर्मा एड. ने बकाशागवा पेश किया तथा परिवार नं. 7 से 29, 32 से 41 एवं 43, 44, 46 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं उनके किर्त एक पत्रावली कार्यवाही अथवा में एड. जाली है। परिवार नं. 30, 31 नावालीग। दोन जाली करण उनको ओर से श्री रामअमर शर्मा एड. को

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

फर्द अहकाम

दिनांक	
3-7-18	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी कलेक्टर पत्रावली है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 6-8-18 को पेश हो।</p>
6-8-18	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी कलेक्टर पत्रावली है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 4-9-18 को पेश हो।</p>
4-9-18	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी कलेक्टर पत्रावली है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 25-9-18 को पेश हो।</p>
11-10-18	<p>जनरल प्रोसीसिचर वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी कलेक्टर पत्रावली है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 25-10-18 को पेश हो।</p>
25-10-18	<p>वकुलाय उपस्थित/गतानुसार दिनांक 25-10-18 को पेश हो।</p>
29-10-18	<p>वकुलाय उपस्थित। कथन किया कि पशुपालन मुकदमे को आगे चलाना नहीं चाहते हैं इसलिए मुकदमे को खारिज कर दिया गया क्योंकि उपपक्ष के कथनानुसार यह दावा खारिज किया जाता है पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दारिखत पत्रावली है।</p>

उपस्थित अधिकारी
 टोडाभीम, करौली (राज०)